



कार्यालय
अधि० अधि०
उ०अ०स० पिथौरागढ़
पत्रांक-७..... दि० ३०/८/२४

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी- ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून- 248001.

दूरभाष :- 0135-2676260, फ़ैक्स :- 0135-2676177,

पत्रांक 3107 / वि०अनु०/०२/शा०अनु० 578/2024-25 दिनांक : 30-08-2024

अधिशाली अभियन्ता,

उत्तराखण्ड जल संस्थान,

(उत्तर/दक्षिण)देहरादून/अनु०खण्ड देहरादून/पित्तुवाला

मसूरी/पौड़ी/कोटद्वार/चमोली/कर्णप्रयाग/रुद्रप्रयाग/टिहरी

घनसाली/उत्तरकाशी/पुरोला/नैनीताल/हल्द्वानी/रामनगर/लालकुआँ

अल्मोड़ा/रानीखेत/ऊधमसिंह नगर/खटीमा/पिथौरागढ़/डीडीहाट

चम्पावत/बागेश्वर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु एस.डी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत धनाबंटन के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-578/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024E-20522 आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 15 जून, 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से ₹ 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

अवगत कराना है कि दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत अप्रैजल अनुभाग द्वारा संकलित मांग के सापेक्ष आपको निम्नांकित अनुसार धनाबंटन किया जा रहा है:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	शाखा का नाम	क्षतिग्रस्त योजना की संख्या	अनुरक्षित संस्था		योजना का प्रकार		वर्तमान में शा०स० 578 दि. 15 जून, 2024 से योजनाओं की मरम्मत हेतु शाखाओं को आबंटन		
			जल संस्थान	ग्राम सभा	नगरीय	ग्रामीण	अस्थायी चालू करने पर व्यय धनराशि	स्थायी चालू करने हेतु धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पौड़ी	11	9	2	0	11	6.16	54.30	60.46
2	कोटद्वार	8	8	0	2	6	11.50	38.50	50.00
3	चमोली	23	22	1	8	15	5.96	38.66	44.62
4	कर्णप्रयाग	20	20	0	3	17	3.76	36.24	40.00
5	रुद्रप्रयाग	66	59	7	10	56	18.42	112.93	131.35
6	नई टिहरी	11	7	4	0	11	1.20	20.57	21.77
7	घनसाली	36	36	0	0	36	7.05	60.70	67.75
8	उत्तरकाशी	12	12	0	0	12	1.20	22.30	23.50
9	पुरोला	20	20	0	6	14	3.03	35.47	39.57
10	अनु०खण्ड, देहरादून	82	82	0	0	82	22.64	152.33	174.97
11	उत्तर,	1	1	0	1	0	0.65	24.43	25.08
12	दक्षिण	1	1	0	1	0	0.00	1.00	1.00
13	पित्तुवाला	1	1	0	1	0	0.00	7.00	7.00
14	मसूरी	1	1	0	1	0	3.60	0.30	3.90
15	नैनीताल	18	18	0	4	14	2.73	31.90	34.63
16	हल्द्वानी	7	7	0	7	0	3.00	11.00	14.00
17	लालकुआँ	2	2	0	0	2	2.49	0.00	2.49
18	रामनगर	14	14	0	2	12	14.40	30.20	44.60
19	अल्मोड़ा	20	17	3	1	19	2.90	41.28	43.82
20	रानीखेत	14	14	0	1	13	2.80	25.20	28.00
21	ऊधमसिंह नगर	2	2	0	1	1	0.00	3.00	3.00

क्र० सं०	शाखा का नाम	क्षतिग्रस्त योजना की संख्या	अनुरक्षित संस्था		योजना का प्रकार		वर्तमान में शा० सं० 578 दि. 15 जून, 2024 से योजनाओं की मरम्मत हेतु शाखाओं को आवंटन		
			जल संस्थान	ग्राम सभा	नगरीय	ग्रामीण	अस्थायी चालू करने पर व्यय धनराशि	स्थायी चालू करने हेतु धनराशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	खटीमा	6	6	0	2	4	1.90	18.80	10
23	पिथौरागढ़	8	8	0	0	8	0.75	11.50	20.70
24	डीडीहाट	26	26	0	0	26	2.00	49.55	12.25
25	चम्पावत	34	32	2	5	29	25.51	24.32	51.55
26	बागेश्वर	19	15	4	8	11	0.00	37.00	49.83
कुल योग :-		463	440	23	64	399	143.65	888.48	37.00
									1032.84

अतः उक्त तालिका के कॉलम संख्या: 2 में अंकित शाखाओं को उसके सम्मुख कॉलम 10 में शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में अंकित धनराशि इस कार्यालय के पत्र संख्या: 3074/लेखा भुगतान/2024-25 दिनांक 29.08.2024 से RTGS के माध्यम से वर्णित निम्नलिखित प्रतिबन्धों, शर्तों एवं एस0डी0आर0एफ0 की गार्ड लाईन के अनुरूप अक्षरशः अनुपालन करते हुए कार्यों के सम्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी है।

शर्तें व प्रतिबन्ध:-

- 1) उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-33-03/2020- NDM-I(Vol-II) दिनांक 10.10.2022 एवं पत्र संख्या-33-03/2020-NDM-I दिनांक 11.07.2023 में निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 2) क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं हेतु रु० 2.00 लाख प्रति क्षतिग्रस्त योजना के लिए अनुमत्य है तथा किसी क्षतिग्रस्त योजना पर अधिक्य धनराशि व्यय होने की दशा में वह धनराशि संबंधित प्रशासकीय विभाग के विभागीय बजट से वहन की जायेगी।
- 3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वहीं कार्य अनुमत्य होंगे, जो DLP में नहीं है।
- 4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं पर कार्य किया जाना आवश्यक हो, की स्वीकृति शासनादेश संख्या: 176 दिनांक 15 फरवरी, 2024 के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति से अनिवार्य रूप से ली जाय।
- 5) यदि अपरिहार्य परिस्थिति वश किसी योजना को तात्कालिक रूप से सम्पादित कराया जाना आवश्यक हो तो ऐसी योजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति भी उल्लिखित समिति से अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाय।
- 6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	योजना का नाम	खण्ड विकास कार्यालय का नाम	ग्राम/स्थान का नाम	जियोटैग फोटोग्राफ	लागत
---------	-------------	--------------	----------------------------	--------------------	-------------------	------

- 7) वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- 8) आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यों के लिये किया जायेगा, जो N.D.R.F/S.D.R.F के दिशा निर्देशों में अनुमत्य है।
- 9) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान विभाग के कार्यों में से 5 प्रतिशत कार्यों का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10) कराये गये कार्यों की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंभव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 11) स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि मुख्यालय को वापस कर दी जाए ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित की जा सके।
- 12) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3